न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखन्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)
(पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या :: 137 / 2019

मांगीलाल पिता सूरजमल जी जाति गुर्जर निवासी दुगार तह0 बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
विपक्षी

उपस्थित :: श्री मोहम्मद रफीक
अधिवक्ता प्रार्थी
तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक 11.02.2020

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधि0

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तूत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया कि ग्राम डेकडीखेडा पटवार मण्डल राजगढ में खाता संख्या 85 में अंकित आराजी नम्बर 773/627/152 रकबा 0.2050 हैक्टर भूमि खातेदारी से मुझ प्रार्थी के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। यह कि वर्णित कृषि आराजीयात में आने जाने के लिए प्रार्थी ग्राम डेकडीखेडा प0ह0 राजगढ के खाता संख्या 171 में अंकित राजकीय बिलानाम भूमि जिसके आराजी नम्बर 153 रकबा 1.1100 हैक्टर में होकर अपनी खातेदारी की कृषि आराजी में आ जा रहा है।

यह कि मुझ प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि में आने जाने के लिए उक्त राजकीय बिलानाम सरकारी आराजी नम्बर 153 में स्थित रास्ते अलावा अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। उक्त राजकीय बिलानाम भूमि मे से प्रार्थी को 15 फीट चौडा रास्ता आराजी पर आने जाने हेतू दिया जाना न्याय संगत एवं विधि सम्मत है साथ ही उक्त राजकीय बिलानाम भूमि मे प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने के लिए दिए गये रास्ते को राजस्व रेकार्ड नक्शा मे तरमीम किया जाना भी विधि सम्मत है।

यह कि प्रार्थी आराजी पर आने जाने का कोई स्थायी रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं होने से आने जाने में एवं फसल उपज हल, बैल, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने से भारी असुविधा रहती है। स्थाई रूप से रास्ता आराजी पर आने जाने हेतू विद्यमान हो जाने से प्रार्थी अपनी आराजी का सुगमता से उपयोग उपभोग कर सकेगा। यह कि प्रार्थी की आराजी पर आने जाने के लिए बिलानाम राजकीय सरकार भूमि आराजी संख्या 153 मे से प्रार्थी को 15 फीट चौडा रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी सरकारी दर से राशि जमा कराने हेतू तेयार हैं। प्रार्थी की कृषि आराजी ग्राम डेकडीखेडा प0ह0 राजगढ में स्थित होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार श्रीमान को होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:43:42 IST
Reason: SelfAttested

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजकीय बिलानाम भूमि ग्राम डेकडीखेडा पटवार मण्डल राजगढ तह0 बेगूँ की आराजी संख्या 153 मे से प्रार्थी को 15 फीट चौडा रास्ता आराजी पर आने जाने हेतू प्रदान किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तूत किये जाने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। पत्रावली पर रास्ते के सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट तलब की गई। पत्रावली पर विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ द्वारा जवाब प्रस्तूत न कर रास्ते के सम्बन्ध में विस्तृत जॉच रिपोर्ट मय डी.एल.सी. दर के अंकन के साथ पत्रावली पर प्रस्तूत की गई। प्राप्त रास्ता रिपोर्ट पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को

-----लगा

ध्यानपूर्वक सुना गया। प्राप्त जॉच रिपोर्ट व पर्चामौका रिपोर्ट पर अंकित किया गया है कि प्रार्थी आने खातेदारी की भूमि मौजा डेकडीखेडा की आराजी संख्या 773/627/152 रकबा 0.2050 हैक्टर भूमि में आने जाने हेतू राजकीय बिलाना भूमि आराजी नं0 153 रकबा 1.11 हैक्टर किस्म बंजड मे से 15 फीट चौडा रास्ता चाहते हैं। जिसकी लम्बर 66 फीट व 4.57 मीटर चौडा रास्ता चाहा गया है। अर्थात डेकडीखेडा की बिलानाम राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित आराजी नम्बर 153 रकबा 1.11 हैक्टर मे से रास्ते हेतू 15 x 66 – 990 वर्गफीट अर्थात 92.02 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी की सहमति से प्रस्तावित की गई है। पत्रावली में वर्णित आराजी की डी.एल.सी. दर 0.01 हैक्टर की 7225/–रूपये अंकित कर रिपोर्ट उप पंजीयक पारसोली द्वारा भिजवाई गई, प्रार्थी नियमानुसार राशि 7225/– का दोगुना यानि 14450/–रूपये राजकोष में जमा कराने को सहमत भी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अ0धा0 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी मांगीलाल पिता सुरजमल गुर्जर निवासी दुगार को अपने खातेदारी भूमि मौजा डेकडीखेडा प0ह0 राजगढ की आराजी संख्या 773/627/152 रकबा 0.2050 हैक्टर भूमि पर आने जाने हेतू मौजा डेकडीखेडा की बिलानाम आराजी संख्या 153 रकबा 1.11 हैक्टर भूमि मे से रास्ते के उपयोग उपभोग हेतू 15 X 66 = 990 वर्गफीट अर्थात 92.02 वर्गमीटर 4.57 मीटर चौडा व 20 मीटर लम्बा रास्ता प्रचलित दर राशि 7225/– का दोगुना यानि 14450/–रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर भूमि को सार्वजनिक रास्ते के उपयोग हेतू राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश प्रति पालना तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 11.02.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

35
17.2.2020

प्रतिलिपि : तहसीलदार, बेगूँ को निर्णय की पालनार्थ दी जाती हैं।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:43:42 IST
Reason: SelfAttested